UPHR060023032022

Presented on : 17-10-2022
Registered on : 17-10-2022
Decided on : 09-12-2023
Duration : 1 years, 1 months, 23 days

न्यायालय सिविल जज (जू०डि०), पश्चिमी, हरदोई।

पीठासीन अधिकारी– (प्रवीन कुमार गौतम), (उ०प्र० न्यायिक सेवा)– UP3284

असम्बन्धित प्रकीर्ण वाद सं०–505/2022

श्रीमती ज्ञानवती बनाम जायदाद मृतक अंकित कुमार आदि

09.12.2023

1. प्रार्थना पत्र 3 ग प्रार्थिनी द्वारा अन्तर्गत धारा 372 भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, उत्तराधिकार प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है।

2. जरिए प्रार्थना पत्र आवेदक द्वारा कथन किया गया है विपक्षी संख्या–1 मृतक अंकित कुमार पुत्र राकेश की मृत्यु दिनांक 23.12.2021 को हो गयी है। प्रार्थिनी मृतक की विधिक उत्तराधिकारी है। मृतक अंकित कुमार पुत्र राकेश के नाम भारतीय जीवन बीमा निगम आवास विकास कालोनी हरदोई में पालिसी सं० 224478676 में जमा धनराशि रु० 1,67,667/–(एक लाख सरसठ हजार छः सौ सरसठ रु०) रूपये मय ब्याज सहित, प्रार्थिनी पाने की अधिकारी है। अतः प्रार्थिनी द्वारा स्वयं के पक्ष में उत्तराधिकार प्रमाण पत्र निर्गत किए जाने की याचना की गयी है।

3. प्रतिवादी संख्या–4 भारतीय जीवन बीमा निगम आवास विकास कालोनी हरदोई ने कागज सं० 13 ग/1–2 मय शपथ–पत्र कथन किया है कि पालिसी सं० 224478676 में मृत्यु दावे से सम्बन्धित औपचारिकताएं पूर्ण करने पर यदि दावा सही पाया जाता है, तो जमा धनराशि रु० 1,67,667/– (एक लाख सरसठ हजार छः सौ सरसठ) है का भुगतान किया जायेगा। उक्त पालिसी में बीमाधारक ने किसी को नामिनी नहीं नियुक्त किया था। आख्या/सूचना प्रेषित की है।

4. प्रार्थिनी द्वारा प्रार्थना पत्र 3 ग के समर्थन में सबूत सूची 7 ग/1 से कागज सं० 7 ग/2 द्वारा कार्यालय जिलाधिकारी हरदोई द्वारा निर्गत उत्तराधिकार प्रमाण पत्र की फोटोप्रति, कागज सं० 7 ग/3 द्वारा मृत्यु प्रमाण पत्र अंकित कुमार की छायाप्रति, कागज सं० 7 ग/4 द्वारा एल०आई०सी० बान्ड की छायाप्रति, कागज सं० 7 ग/5 द्वारा जन्म प्रमाण पत्र राज, कागज सं० 7 ग/6 द्वारा परिवार रजिस्ट की छायाप्रति एवं कागज सं० 7 ग/7 द्वारा द्वारा आधार कार्ड की छायाप्रति ज्ञानवती को दाखिल किया। सबूत सूची 14 ग/1 से कागज सं० 14 ग/2 द्वारा स्टेटस रिपोर्ट पोलिसी नं० 224478676 को दाखिल किया है तथा सबूत सूची 17 ग/1 से कागज सं० 17 ग/2 द्वारा ग्रामीण सहारा की मूलकापी दिनांकित 22.11.2023, कागज सं० 17 ग/3 द्वारा मृत्यु प्रमाण पत्र अंकित कुमार की मूलप्रति, कागज सं० 17 ग/4 द्वारा परिवार रजिस्ट की मूलप्रति, कागज सं० 17 ग/5 द्वारा कार्यालय जिलाधिकारी हरदोई द्वारा निर्गत उत्तराधिकार प्रमाण पत्र की मूलप्रति एवं कागज सं० 17 ग/6 द्वारा भारतीय जीवन बीमा निगम की मूल प्रति को दाखिल किया है।

5. मामला पंजीकृत होने के उपरान्त हितबद्ध पक्षकार के उपसंजात हेतु प्रार्थना पत्र में वर्णित पक्षकार को नोटिस जरिए रजिस्ट्री प्रेषित किया गया। अन्य हितबद्ध पक्षकार के उपसंजात हेतु डुग्गी मुनादी व दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशन कराया गया। बाद डुग्गी मुनादी व प्रकाशन कोई हितबद्ध पक्षकार न्यायालय में उपस्थित नहीं आया।

Digitally signed by PRAVEEN KUMAR GAUTAM
Date: 2024.01.01 11:53:17 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

6. सहमति प्रार्थना पत्र कागज सं० 15क मय शपथपत्र द्वारा विपक्षी सं०–2 श्रीमती ज्ञानवती पत्नी स्व० अंकित कुमार ने प्रार्थिनी श्रीमती ज्ञानवती मृतक की माता के पक्ष में उत्तराधिकार प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने की सहमति दाखिल की है। प्रार्थिनी के विरूद्ध अन्य कोई आपत्ति किसी पक्षकार द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया।

7. प्रार्थना पत्र पर प्रार्थिनी के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

8. पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि प्रार्थिनी/वादिनी श्रीमती ज्ञानवती मृतक की माता, विपक्षी सं०–2 श्रीमती ज्ञानवती मृतक की पत्नी एवं विपक्षी सं०–3 राज (नाबालिग) मृतक का पुत्र है।

9. पत्रावली में प्रार्थिनी द्वारा आवेदन पत्र पर हस्ताक्षर कर आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है।

10. उपरोक्त समग्र विवेचना के दृष्टिगत न्यायालय की राय में मृतक अंकित कुमार पुत्र राकेश के नाम भारतीय जीवन बीमा निगम आवास विकास कालोनी हरदोई में पालिसी सं० 224478676 में जमा धनराशि रु० 1,67,667/–(एक लाख सरसठ हजार छः सौ सरसठ रु०) रूपये मय ब्याज सहित, प्रार्थिनी श्रीमती ज्ञानवती मृतक की माता एवं विपक्षी सं०–3 राज मृतक का पुत्र पाने के अधिकारी हैं।

11. अतः प्रार्थिनी श्रीमती ज्ञानवती एवं विपक्षी सं०–3 राज, मृतक अंकित कुमार पुत्र राकेश के नाम भारतीय जीवन बीमा निगम आवास विकास कालोनी हरदोई में पालिसी सं० 224478676 में जमा धनराशि रु० 1,67,667/–(एक लाख सरसठ हजार छः सौ सरसठ रु०) रूपये मय ब्याज सहित को प्राप्त करने हेतु उत्तराधिकार प्रमाण पत्र निर्धारित न्यायालय शुल्क जमा करने उपरान्त नियमानुसार निर्गत किया जाना न्यायोचित होगा।

तदनुसार प्रार्थना पत्र 3ग स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थना पत्र 3ग स्वीकार किया जाता है। मृतक अंकित कुमार पुत्र राकेश के नाम भारतीय जीवन बीमा निगम आवास विकास कालोनी हरदोई में पालिसी सं० 224478676 में जमा धनराशि रु० 1,67,667/–(एक लाख सरसठ हजार छः सौ सरसठ रु०) रूपये, जिसे मय ब्याज प्रार्थिनी श्रीमती ज्ञानवती एवं विपक्षी सं०–3 राज के पक्ष में निर्गत हो तथा प्रार्थिनी ज्ञानवती का 2/3 भाग व प्रतिवादी सं० 3 राज का 1/3 भाग होगा। प्रतिवादी सं० 3 राज के भाग (अर्थात 1/3) की प्राप्त होने वाली धनराशि उनके बालिग होने तक किसी राष्ट्रीयकृत बैंक/पोस्ट ऑफिस में अधिकतम लाभकारी योजना के अन्तर्गत जमा किया जाएगा।

प्रार्थिनी श्रीमती ज्ञानवती एवं विपक्षी सं०–3 राज (संरक्षिका) इस आशय की अण्डरटेकिंग देगें कि प्रार्थना–पत्र में कोई तथ्य छिपाया नहीं गया है और यदि भविष्य में असत्य पाया जाए तो उत्तराधिकार प्रमाण–पत्र निरस्त कर दिया जाए तथा प्राप्त की गयी धनराशि को वह न्यायालय में जमा करने के लिए उत्तरदायी होगा।

यदि यह पाया जाता है कि पूर्व में किसी सक्षम न्यायालय द्वारा इस संदर्भ में उत्तराधिकार प्रमाण पत्र निर्गत किया जा चुका है, प्रार्थिनी श्रीमती ज्ञानवती एवं विपक्षी सं०–3 राज के पक्ष में निर्गत प्रश्नगत उत्तराधिकार प्रमाणपत्र स्वयमेव निरस्त माना जाएगा।

सम्बन्धित लिपिक को आदेशित किया जाता है कि वह आवेदक द्वारा देय न्यायालय शुल्क की गणना कर, आवेदक से न्यायालय शुल्क अभिप्राप्त कर, आवेदक के पक्ष में उत्तराधिकार प्रमाण पत्र नियमानुसार जारी करें।

आवेदक पैरवी अन्दर 15 दिन करे। बाद निर्गत किए जाने उत्तराधिकार प्रमाण पत्र पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक–09.12.2023

सिविल जज (जू०डि०), पश्चिमी,
हरदोई।